न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 47 / 2016

RCMS No. 2016/00155

प्रार्थीः–

1 विद्यादेवी पत्नी पोकरराम
2 रमेश पुत्र पोकरराम
3 देवराज पुत्र पोकरराम
4 भरतकुमार पुत्र पोकरराम
5 पिंकी पुत्री पोकरराम जातिगण लौहार निवासीगण सिवास

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. ग्राम पंचायत सिवास
2. रूपीदेवी पत्नी नेमाराम जाति लौहार निवासी सिवास तहसील रानी
3. बिदामीदेवी पत्नी पकाराम जाति तेली निवासी सिवास तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सिवास द्वारा मिसल संख्या 47 / 2014, संकल्प संख्या 01 दिनांक 21.11.2014 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 21. 11.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज पोकरराम एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्वज नेमाराम की संयुक्त मालिकाना हक की भूमि है, जिसका पट्टा संख्या 48 दिनांक 25.03.1975 को जारी हुआ है। उक्त भूमि का किसी भी स्तर पर विभाजन नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरूद्ध है। एक बार पट्टा जारी होने के एवं उक्त पट्टे अस्तित्व में होने तक ग्राम पंचायत उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि संयुक्त सम्पति की भूमि रहीं है, जिसमें काफि भाग में निर्माण है तथा कुछ भाग खुला है। सम्पूर्ण चौडाई में एक पोल निर्मित है, एक ही दरवाजा है, किसी भी रूप में उक्त सम्पति विभाजित नहीं है। सम्पति में सम्पूर्ण निर्माण पूर्वी हिस्से में है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच किसी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है। बिना विभाजन विशिष्ठ रूप से एक हिस्से का पट्टा बनाने का या उसमें हक अधिकार जताने का कोई भी प्रश्न, आधार–अधिकार अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त नहीं होता है, न ही अप्रार्थी संख्या 1 को कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी करने का अधिकार रहता है। इन परिस्थितियों में भी निगरानीग्रस्त संकल्प एवं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा तथा सम्पूर्ण कार्यवाही रद्द किये जाने योग्य है। पैतृक सम्पति होने, पट्टासुदा सम्पति होने, संयुक्त सम्पति होने से विभाजन चाहने पर व्यवहार न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर ही विभाजन की डिक्री प्राप्त की जाकर विभाजन किया जा सकता है अथवा आम सहमति से विभाग का दस्तावेज पंजीकृत करवाकर ही किया जा सकता है। इस विधिक स्थिति को नकराते हुए अवैध कार्यवाही विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित एवं विधि विरूद्ध संस्थित कर संकल्प एवं पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र प्रिन्टेड प्रर्फोमा में खानापूर्ति करते हुए कार्यवाही अपनाई गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत की मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत सिवास के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्वयं के मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा जो नक्शा मौका तैयार किया, उसमें प्रस्तावित भूमि के जो पडौस दर्ज किए गए, वे इस प्रकार है – पूर्व में तोलाराम प्रजापत का मकान, पश्चिम में पोकरजी का प्लाट, उत्तर में आम रास्ता एवं दरवाजा एवं दक्षिण में बस्तीलाल का मकान। ग्राम पंचायत द्वारा जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है। मिसल के संलग्न जो बयान फार्म है, उस पर बयान देने वाले के हस्ताक्षर है, किन्तु वल्दियत, सकूनत आदि का अभाव है। इसके अतिरिक्त जब उक्त भूमि का पूर्व में पट्टा संख्या 48 दिनांक 25.03.1975 को जारी हो चुका था एवं अस्तित्व में है, तो इसी भूमि का दुबारा पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत को अधिकारिता नहीं थी। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टासुदा भूमि पर पुनः पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सिवास द्वारा मिसल संख्या 47/2014, संकल्प संख्या 01 दिनांक 21.11.2014 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 21.11.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)